राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
जी–3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

क्रमांक : IT cell/ई-गवर्नेन्स/DLB/1119-1332 दिनांक :– 29.06.2020

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय :– निकायो द्वारा ई–गवर्नेन्स मद में जमा करायी जाने वाली राशि के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निकायो द्वारा 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान में से 10 प्रतिशत राशि ई–गवर्नेन्स कार्य हेतु व्यय किया जाने का प्रावधान है। जिसकी 'पालनार्थ समस्त निकायो द्वारा उक्त 10 प्रतिशत राशि ई–गवर्नेन्स मद में जमा कराये जाने हेतु कार्यकारी निदेशक रूडसिको जयपुर को प्रेषित की जाती है। अब ई–गवर्नेन्स कार्य की मॉनेटरिंग एवं नियन्त्रण निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा की जावेगी एवं इस बावत निदेशालय द्वारा निकायो से प्राप्त उक्त 10 प्रतिशत राशि को जमा कराये जाने हेतु ICICI Bank Ltd. की नगर निगम, जयपुर शाखा में नवीन बचत खाता खुलवाया जा चुका है। जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

खाताधारक का नाम	–	**DIRECTORATE OF LOACL BODIES**
बचत खाता संख्या	–	**675501702130**
IFSC संख्या	–	**ICIC0006755**
बैक शाखा का नाम व पता	–	**ICICI BANK LTD., NAGAR NIGAM JAIPUR**

अतः आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी समस्त को निर्देशित किया जाता है कि अब ई–गवर्नेन्स के तहत आप द्वारा प्रेषित की जाने वाली राशि निदेशालय द्वारा खोले गये नवीन बचत खाता संख्या 675501702130 में जमा करावे एवं यदि जमा करवायी जाने वाली राशि इलेक्ट्रोनिक हस्तान्तरण (जरिये NEFT/RTGS) की जाती है तो इलेक्ट्रोनिक हस्तान्तरण की जमा रसीद भी निदेशालय को प्रेषित करनी होगी ताकि निदेशालय स्तर पर बैंक में जमा राशि से उक्त राशि का मिलान कर ई–गवर्नेन्स मद राशि को UPDATE किया जा सके।

(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

C:\Users\Dlbacc\Desktop\E-Govene Doc

Scanned with CamScanner